

कार्यालय जनपद न्यायाधीश कासगंज।

कोटेशन -सूचना


एतदद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज के अनुमोदित आदेश दिनांकित 01.02.2024 के अनुपालन में जनपद न्यायालय कासगंज के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों एवं कार्यालयों में आवंटित कम्प्यूटर उपकरण प्रिंटर , यू.पी.एस , कम्प्यूटर थिनक्लाइंट एडेप्टर एवं कीबोर्ड जिनकी वारंटी समाप्त हो चुकी है उनकी मरम्मत के सम्बन्ध में अधिकृत पंजीकृत डीलर/फर्मों से सम्बन्धित प्रिंटर, यू.पी.एस ,कम्प्यूटर एडेप्टर एवं कीबोर्ड के परीक्षण के उपरान्त पूर्ण विवरण सहित कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। मरम्मत योग्य कम्प्यूटर उपकरणों का विवरण निम्नवत है।

क्र० सं०	मेक / मॉडल नं०	मरम्मत योग्य कम्प्यूटर उपकरणों की संख्या
1	HP LASERJET PRO M203dn	02 नग (PRINTER)
2	HP LASERJET PRO MFP M227fdw	06 नग (PRINTER)
3	HP LASERJET PRO 1008	02 नग (PRINTER)
4	HP LASERJET PRO P1008	04 नग (PRINTER)
5	UPS Digital 600 EX-V	06 नग (UPS)
6	Key Board acer	01 नग (Key Board)
7	Thin Client Adapter	01 नग (Adapter)

उक्त अधिकृत पंजीकृत डीलर/फर्मों को कोटेशन में दी गयी शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा। नियम एवं शर्तें निम्नवत हैं।

- 1- कोटेशन बंद लिफाफे में जनपद न्यायाधीश कासगंज के कार्यालय केन्द्रीय नजारत कासगंज में दिनांक 12.02.2024 तक (कार्यालय समय 10.00 बजे से 4.00 बजे तक) अंतिम रूप से स्वीकार किये जायेगे।
- 2- कोटेशन दिनांक 12.02.2024 को सायंकाल 4.30 बजे क्रय समिति जनपद न्यायालय कासगंज के समक्ष खोले जायेगे।
- 3- किसी भी कोटेशन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज का होगा।
- 4- किसी भी कोटेशन को बिना कोई कारण बताये माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
- 5- कोटेशन खोलने के समय फर्म का एक प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।
- 6- कोटेशन में दिये गये मूल्य के अतिरिक्त कोई भी भुगतान जैसे किराया इत्यादि अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।
- 7- भुगतान कम्प्यूटर उपकरणों की मरम्मत के उपरान्त ही किया जायेगा विलम्ब होने पर कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
- 8- कोटेशन में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय कासगंज में होगा।
- 9- कोटेशन खोलने के उपरान्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 10- कोटेशन से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी कार्यालय केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय कासगंज से किसी भी कार्य दिवस में समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक ली जा सकती है।

दिनांक- .02.2024



(गगन कुमार भारती)

अध्यक्ष क्रय समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०- 03

कासगंज।